

उप जिला कलक्टर टोडाभीम जिला करौली

2018

तारीखरजू:-27.06.2018

निर्णय दिनांक:-

उनवान:- राजेन्द्र सिंह आदि बनाम कैलाश वगैरे

दावा वावत घोषणा खातेदारी, बटवारा एवं स्थाई निषेधाज्ञा

अन्तर्गत धारा 53, 88,188 राज0 काश्त0 अधि0 1955

फर्द अहकाम

वादी की ओर से श्री महेन्द्र शर्मा एडवोकेट ने दावा वावत स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53, 88,188 राज0 काश्त0 अधि0 1955 के तहत प्रस्तुत किया गया। अवलोकन किया गया। दावा पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगणों को जरिये सम्मन तलब कर पत्रावली दिनांक 16.07.2018 को को पेश हो।

2345-61
28/6/18

उपजिला कलक्टर
टोडाभीम (करौली)

5.7.18 वादी वकील उप0 प्रतिवादी नं. 1, 2, 3, 5, 10 तां। 1) कृषजूद सूचना उप0 नदी प्रतिवादी नं. 6, 7, 8 के सम्मन लेने से इ-का (किया) प्रतिवादी नं. 4, 9 के सम्मन अदम्य तामील से प्राप्त हुए हैं। P.O. सा० बाहर पधारे हैं वास्ते इंग्रिस आदेश दि० 13.8.18 को पेश हो।

3.8.18 वादी वकील उप0 प्रतिवादी नं. 1, 2, 3, 5, 10 तां। 15, 17, 6, 7, 8 के विक्रम एक पक्षीप कार्यवाही के आदेश दिये जाते हैं। प्रतिवादी नं. 16 की ओर से श्री विष्णु कंठक Adv. ने वकालत नामा पेश किया। प्रतिवादी नं. 4, 9 के रजि० आ० सम्मन तलवाना पेश करे। तलबी, जबब वास्ते दि० 18.9.18 को पेश हो।

उप जिला कलक्टर
टोडाभीम (करौली)

आयालय उप जिला कलक्टर टोडाभीम

फर्द अहकाम

17.7.19 वकूलाय उपस्थित/पीठासन अधिकारी (आवकाश)
पर पधार है। अतः पत्रावली गताबुसार
दिनांक 20.8.19 को पेश हो।

20.8.19

वकूलाय उप। उतिवादी नं. 4, 9 के रजि० A३ समन
तलवाना पेश करे। वास्ते तलकी दिनांक 17.9.19 को
पेश हो।

17.9.19

वकूलाय उप। वादी वकील को उतिवादी नं. 4, 9 के रजि०
A३ समन तलवाना 3 दिन में पेश करने के निर्देश दिये
गये। वास्ते तलकी दिनांक 30.9.19 को पेश हो।

30.9.19

वकूलाय उपस्थित। वादी वकील ने समन तलवाना पेश
करे पुनः एक अंतिम मौका-चाह। सुनकर न्याय रित में
एक अंतिम इवसा दिया जाता है कि 7 दिन में तलवाना
पेश करे। तलवाना पेश करे पर तलकी जारी करे। पत्रावली
दिनांक 1.11.19 को पेश हो।

1.11.19

वकूलाय उपस्थित/पीठासन अधिकारी
बाहर पधार है। अतः पत्रावली गताबुसार
दिनांक 21.11.19 को पेश हो।

21.11.19

पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित नहीं थे।
कई बार आवाज दिलवाये वादी वकील एवं वादी गण में से
कोई भी उपस्थित नहीं थे। अतः यह दावा इदम टाजिरी
एवं इदम पैरकी में खारिज किया जाता है। पत्रावली
फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दारिख्त
रफ्तार हो।

उपजिला कलक्टर
टोडाभीम (करोली)

